न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नखतदान बारहठ आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 35 / 2017 / बाड़मेर

अपीलांट

1. मंगूदेवी पुत्री बन्नाराम पत्नी रूगनाथराम जाति मेघवाल निवासी सड़ा तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर।

बनाम

रेस्पोडेंटगण

1.सांवला पुत्र अमरा
2.राणाराम पुत्र हेमाराम
3.चेलाराम पुत्र हेमाराम
4.तिलोकाराम पुत्र हेमाराम
5.मंगलाराम पुत्र हेमाराम
6.श्रीमती समदादेवी पत्नी हेमाराम जाति मेघवाल निवसी सड़ा तहसील सिणधरी
7.श्रीमती भूरीदेवी पुत्री बनाराम पत्नी पदमाराम जाति मेघवाल निवासी
8.श्रीमती पूरोंदेवी पुत्री बन्नाराम पत्नी किरताराम जाति मेघवाल निवासी धांधलावास तहसील गुड़ामालानी
9.माधाराम पुत्र गिरधारीराम जाति मेघवाल निवासी सड़ा तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर।
10.टीकमाराम पुत्र आलाराम जाति मेघवाल निवासी धांधलावास तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर।
11.श्रीमान तहसीलदार एवं उप पंजीयक सिणधरी।

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर गुड़ामालानी के राजस्व वाद संख्या 127 / 2015 बअनवान श्रीमती मंगूदेवी बनाम सांवलाराम वगैरा में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08.03.2017 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री जोगराज पोटलिया अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री ओमप्रकाश विश्नोई रेस्पोडेंट की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः– 05.08.2019

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट व उतरदाता संख्या 01 से 08 हिन्दू विधि से शासित है तथा स्व. बन्ना पुत्र केवलदास के प्रथम वर्ग के वारीसान है। वनाराम के देहान्त पर अपीलाधीन आराजी में उसके पुत्रों व पुत्रियों के समान हिस्से में खातेदारी अधिकार हिन्दू उतराधिकारी विधि की धारा 08 के अनुसार

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

पैदा हो गये व स्व. वन्नाराम के पांचों वारीस अपीलाधीन आराजी के खातेदार कृषक हो गये परन्तु अपीलांट के भाई अमरा व हेमाराम ने तत्कालीन पटवारी को वारीसान की गलत सूचना देकर व सरपंच को प्रभावित कर स्व. वन्नाराम की विरासत का नामान्तरकरण संख्या 147 अपने दोनों के नाम स्वीकृत करा कर अपीलाधीन आराजी अपने नाम करादी। उतरदाता संख्या 01 से 06 ने अपीलाधीन आराजी का बेचान प्रारम्भ किया व इसका ज्ञान अपीलांट को होने पर अपीलांट ने बेचान करने का विरोध किया तो उतरदाता संख्या 01 से 06 ने वादीनी ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 53, 40 व 188 के तहत अधीनस्थ न्यायालय में वाद पेश कर अपीलांट/वादीनी को हिस्सा 1/5 आराजी में खातेदार घोषित करने के आदेश प्रदान किये जावे। अधीनस्थ न्ययालय द्वारा वाद में उतरदाता संख्या 01 से 09 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश हुऐ, प्रतिवादी उतरदातागण संख्या 02, 04, 05 व 06 ने इकबाली जबाव मय काउन्टर क्लेम पेश किया, वादीनी/अपीलांट की साक्षी रेकर्ड पर आ गई, इस स्टेज पर उतरदाता संख्या 01 व 09 ने एकपक्षीय कार्यवाही का आदेश निरस्त करने व वाद को विधि विरूद्ध होना बताते हुऐ वाद खारिज करने हेतु पृथक–पृथक दो आवेदन सी पी सी के आदेश 09 नियम 07 व आदेश 07 नियम 11 पेश किये। अधीनस्थ न्यायालय ने न्यायिक दृष्टांत का विवेचन किया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह व्यवस्था दी है कि जो पैतृक सम्पतियां तारीख 20.12.2004 से पूर्व भी किसी पक्षकार के हक में व्ययन हो गई है तो उसमें संशोधित प्रावधान लागू नहीं होंगे। अपीलाधीन आदेश विधि विरूद्ध एवं प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ पारित किया गया है जो काबिल निरस्त योग्य है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्ययालय द्वारा वाद में उतरदाता संख्या 01 से 09 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश हुऐ, प्रतिवादी उतरदातागण संख्या 02, 04, 05 व 06 ने इकबाली जबाव मय काउन्टर क्लेम पेश किया, वादीनी/अपीलांट की साक्षी रेकर्ड पर आ गई, इस स्टेज पर उतरदाता संख्या 01 व 09 ने एकपक्षीय कार्यवाही का आदेश निरस्त करने व वाद को विधि विरूद्ध होना बताते हुऐ वाद खारिज करने हेतु पृथक–पृथक दो आवेदन सी पी सी के आदेश 09 नियम 07 व आदेश 07 नियम 11 पेश किये। अधीनस्थ न्यायालय ने न्यायिक दृष्टांत का विवेचन किया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

यह व्यवस्था दी है कि जो पैतृक सम्पतियां तारीख 20.12.2004 से पूर्व भी किसी पक्षकार के हक में व्ययन हो गई है तो उसमें संशोधित प्रावधान लागू नहीं होंगे। अपीलांट का वाद हिन्दू उतराधिका अधिनियम की धारा 06 अनुसार नहीं अपितु अधिनियम की धारा 08 अनुसार अपने पिता के फौत होने पर उसके द्वारा छोड़ी गई सम्पति में अपने अधिकार मांगना है, संशोधित धारा 06 पिता के जीवनकाल में भी प्रभावी है। अपीलाधीन आदेश विधि विरूद्ध एवं प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ पारित किया गया है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने बहस करते हुए बताया कि अपीलांट/वादीनी ने खातेदार बनाराम के देहान्त के 45 साल बाद वाद पेश किया है इससे वाद का कारण प्रकट नहीं होता है। हस्तगत वाद में सर्वप्रथम प्रश्न का निर्धारण यह करना है कि क्या वादीनी मंगूदेवी वनाराम की वैध पुत्री एवं वारीसान है, ऐसे प्रश्नों का निर्धारण सिविल न्यायालय ही कर सकता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय विधि के अनुरूप पारित किया गया है जिसमें किसी तरह की को विधिक त्रुटि नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमायी जावे।

पत्रावली का अवलोकन व विद्वान उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलांट/वादीनी ने अधीनस्थ न्यायालय में धारा 88, 53, 188 के अंतर्गत वाद पेश किया **जिसका मूल आधार व कथन वादग्रस्त भूमि उसकी पुश्तैनी होने एवं हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के तहत उसका इसमें जन्म से ही हक निहित होने से संबंधित है।** दिनांक 19.10.2015 को आदेशिका स्पष्ट करती है कि "**प्रतिवादीगण के सम्मन तामीलशुदा प्राप्त। प्रतिवादीगण बावजूद नोटिस तामील अनुपस्थित।**" प्रतिवादीगण को कोर्ट समय में तीन बार तीन तीन आवाजे दिलाई गई। **अनुपस्थित रहने से प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है के आदेश दिये गए।** आगामी तारीख पेशी पर एकतरफा कार्यवाही के आदेश को अपास्त करने का प्रार्थना–पत्र प्रतिवादीगण की ओर से वकील श्री रिड़मलराम चौधरी ने पेश किया व प्रतिवादी संख्या 02, 04, 05, 06 व 08 की ओर से **इकबाली जबाव दिया गया।** प्रार्थना–पत्र भी स्वीकार होकर एकतरफा कार्यवाही मंसूख कर दी गई। तत्पश्चात पत्रावली साक्षी वादी में मुकर्रर होने से वादी साक्ष्य ली गई तत्पश्चात प्रतिवादी पक्ष की साक्ष्य हुई और पत्रावली दिनांक 15.02.2016 को आदेशिका मुताबिक बहस हेतु मुकर्रर हुई। प्रतिवादी संख्या 01 व 09 की ओर से वकील श्री जगदीश विश्नोई ने प्रार्थना–पत्र आदेश 09 नियम 07 एकतरफा कार्यवाही मंसूख हेतु

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

पेश किया साथ ही एक आवेदन अंतर्गत आदेश 01 नियम 10 प्रार्थी टीकमाराम के वकील की हैसियत से पेश किया। पत्रावली बहस मे मुकर्रर हुई। बहस सुनी पर आदेश नहीं हुए। तत्पश्चात दिनांक 13.07.2016 को प्रार्थी टीकमाराम का प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर लिया। संशोधित शीर्षक पेश हुआ। तत्पश्चात प्रतिवादी संख्या 01 व 09 के द्वारा दिनांक 06.02.2017 को पेश प्रार्थना–पत्र अंतर्गत आदेश 07 नियम 11 शामिल मिसल किया। बहस सुनी गई। आदेशिका में आगामी तारीख पेशी का कोई हवाला नहीं दिया और पत्रावली दिनांक **08.03.2017** को प्रतिवादी संख्या 01 व 09 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही सम्यक तामीली नहीं होने के कारण मंसूख करते हुए मामला उनके आवेदन पर **उसी रोज अंतर्गत आदेश 07 नियम 11 पर ही निर्णीत कर दिया गया जो पूर्णतया विधि विरूद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय को पत्रावली पर पूर्व से ही उपलब्ध साक्ष्यों के आलोक में नियमित वाद का गुणावगुण के आधार पर निस्तारण करना लाजमी था** जिसे केवल तकनीकी/विधिक बिंदुओं के आधार पर निर्णीत कर दिया गया। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील रिमाण्ड करने योग्य ठहरती है।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर गुडामालानी के राजस्व वाद संख्या 127/2015 बअनवान श्रीमती मंगूदेवी बनाम सांवलाराम वगैरा में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08.03.2017 को अपास्त किया जाकर मामला अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्ष को समुचित सुनवाई का मौका दिया जाकर साक्ष्य/सबूत लेकर गुणावगुण के आधार पर विधि सम्मत निर्णय पुनः पारित करे।

5/8/19
राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 05.08.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

5/8/19
राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner